



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: Acc/ 52/16

दिनांक: 15-06-2016

प्रबन्धक/सचिव,
ज०डी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल,
भोकरी, जी०टी० रोड़,
अलीगढ़।

विषय:- ज०डी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल, भोकरी, जी०टी० रोड़, अलीगढ़, उ०प्र० को स्वित पोषित योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में बी०ए०ए०ए०ए० पाठ्यक्रम में 50 सीटों के साथ सत्र 2014-2015 (एक वर्ष) का (National Affiliation) सम्बद्धता प्रदान करना एवम् सत्र 2014-2015 की परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पंत्राक संख्या JDAMC/96/03-2016 दिनांक 16.03.2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या सम्बा० 1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013, दिनांक 01 अगस्त, 2014 एवं वार्ष परिषद् की बैठक दिनांक 02.09.2014 के अनुपालन में एवं ३०प्र० शासन पत्र संख्या-272/सत्तर-1-2016-16(69)/2010 दिनांक 09 मार्च, 2016 के द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सम्बद्धता प्रदान करना एवम् परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में, आयुर्वेदिक/धूनानी पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता मामूली रूप बैठक 08.06.2016 द्वारा स्नातक सत्र पर आयुर्वेदिक रांकाय के अन्तर्गत बी०ए०ए०ए०ए० पाठ्यक्रम में 50 छात्रों की प्रवेश तमाम व नाथ स्वीकृति तथा सत्र 2014-15 की परीक्षा वाराने की अनुमति भल्पे प्रदान कर दी गयी है:-

- संस्था, शासन द्वारा निर्धारित फीस वी० धनराशि ती० धनों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विविचन के सन्दर्भ में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्षितयों की सूचना नियमानुसार उन्हें द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी०सी०आ०ए०ए० रेग्युलेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवस वे उपरान्त ही बराबर जायेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों वा पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से परिवर्तित कर दी गई है, घर व्यवस्था अधिनियम की धारा-५(4) विलोपित किये जाने के अनुगत वी० गई है।

भवदीय,

कुलसचिव

मृ०

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, सी०सी०आ०ए०, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- सचिव, आयुष विमान, भारत सरकार नई दिल्ली।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- निदेशक, आयुर्वेदिक (पाठ्यक्रम एवम् मूल्यांकन), उ०प्र० लखनऊ।
- कुलसचिव, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।